

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास – डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 27/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी साबु की बारी, काठडियों का चौक, नागौर। फर्म-माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर। 2 अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र रतनलाल उपाध्याय निवासी तोलियासर भैरुजी की गली, वार्ड नं. 18 गंगाशहर, बीकानेर। फर्म-मै. वैभव रीपेकर्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नाल बारी, बीकानेर।

आदेश

दिनांक : 18.6.19

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 09-08-2017 को मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (गौरव ब्राण्ड) व (उत्सव ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 887 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 736/एक्ट/2017/736 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (गौरव ब्राण्ड) व (उत्सव ब्राण्ड) अनसेफ होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी साबु की बारी, काठडियों का चौक, नागौर एवं अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र रतनलाल उपाध्याय निवासी तोलियासर भैरुजी की गली, वार्ड नं. 18 गंगाशहर, बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 27-07-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब दिनांक 11.6.19 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि मेरी फर्म माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर से घी का नमूना भरा। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मैंने घी बीकानेर से खरीद किया। उसी हालत में बेचता हूँ। न ही मैं निर्माता हूँ व न ही मैं पैकिंग करता हूँ। भविष्य में इस तरह की गलत नही करूंगा और अप्रार्थी सं. 1 ने घी बेचना बंद कर दिया है तथा कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स नागौर से घी का नमूना भरा जो कि सब स्टेण्डर्ड पाया गया। मैं, घी अन्य दुकानदारों से खरीद कर लाता हूँ। जिस कारण सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती नही करूंगा। मैंने यह घी का व्यापार बंद ही कर दिया है। अन्य रोजगार द्वारा मजदूरी करके अपना घर चला रहा हूँ। इस मुकदमे से दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 736/एक्ट/2017/736 दिनांक 28.08.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (गौरव ब्राण्ड) व (उत्सव ब्राण्ड) का नमूना अनसेफ पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी साबु की बारी, काठडियों का चौक, नागौर एवं अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र रतनलाल उपाध्याय निवासी तोलियासर भैरुजी की गली, वार्ड नं. 18 गंगाशहर, बीकानेर पर संयुक्त रूप से 5,000/- अक्षरे रूपये पांच हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर द्वारा प्रतिष्ठान में नमूने लिये जाने के दौरान दिनांक 08.08.17 को अभिग्रहीत खाद्य पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण करवाया जावे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर
नागौर (राजस्थान)